श्री सुभाष आहूजा : अध्यक्ष महोदय, जब बेतूल में पहले ही फारस्ट गार्डस ट्रेनिंग सेन्टर है और वहां उन को प्रशिक्षण दिया जाता है तथा दूसरे प्रशिक्षण के लिये प्रशिक्षार्थियों को वहां से देहरादून जाना पड़ता है, ऐसी स्थिति में दूसरे प्रशिक्षण लिये वहां पर ही व्यवस्था क्यों नहीं की जाती है ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : बेतूल का केस 1975 में पिछली गवर्नमेन्ट ने रिजेक्ट कर दिया था। उस के बाद जब मध्य प्रदेश से पूछा गया तो उन्होंने बालाघाट का केस भेजा जिस को कन्सीडर किया जा रहा है और जैसा मैंने बताया है उस को फेवरेबली कंसीडर किया जा रहा है।

श्री लक्ष्मी नारायण नायक : अभी आप ने बतलाया कि अब यह कालिज बालाघाट में खोला जा रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि यह कब तक शुरू हो जायेगा ?

श्री सुरजीत सिंह बरनाला : इस वक्त यह केस हमारी तरफ से एप्रूव हो रहा है उस के बाद यह फाईनान्स मिनिस्ट्री और प्लानिंग कमीशन को जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक इस के खोलने के लिये हम कामयाब हो जायेंगे।

Engineering Graduates working as Junior Engineers in CPWD

*471. SHRI RAJKESHAR SINGH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING AND SUPPLY AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) whether Engineering Graduates are employed as Junior Engineers in C.P.W.D. in a pay scale which is meant for Diploma holders, if so, why;

(b) whether Government have not operated a separate promotional channel meant for Engineering Graduates since 1972 and have neither created a separate cadre for these Engineering graduates;

(c) whether the Supreme Court of India in a case of M/s. T. N. Khosa and others v/s. State of Jammu and Kashmir has categorically held that classification for the purpose of promotion can be made in one cadre on the basis of educational qualifications, even though the nature of duties is the same; and

(d) if so, what prevents Government in making such classification for graduate Junior Engineers and provide a quota for promotion to these Graduate Junior Engineers under rule 3(b) of CES, and CEES rules, 1954?

निर्माण और आवास तथा पूर्ति और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम किंकर): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) जूनियर इंजीनियर के पद के लिए अर्हता इंजीनियरी में डिप्लोमा या उसके समकक्ष या कोई उच्चतर योग्यता है। यह स्नातकों की नियुक्ति में बाधा नहीं डालती जो आवेदन देते है और चुने जाते हैं।

(ख) जी हां। तथापि, स्नातकों की पदोन्नति के लिए एक कोटे के रूप में पृथक पदोन्नति क्रम को न्यायालय द्वारा खत्म कर दिया गया था।

(ग) और (घ). न्यायालय के सामने यह मसला था कि जब निम्नतर काडर में स्नातक तथा गैर स्नातक हों तो क्या पदोन्नति स्नातकों तक ही सीमित करने संबंधी नियम से संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन होगा। न्यायालय ने यह फैसला दिया कि यह उल्लंघन नहीं था; तथा यह निर्णय किया कि ऐसा वर्गीकरण शैक्षणिक

अर्हताओं के आधार पर किया जा सकता है। इस निर्णय में पदोन्नति के लिए कोई अनिवार्य व्यवस्था निर्धारित नहीं की गई लेकिन केवल इस बात का उल्लेख किया है कि जम्मू व कश्मीर सरकार द्वारा लागू की गई पद्धति असंवधानिक नहीं थी। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में जूनियर इंजीनियर से सहायक इंजीनियर के पद पर पदोन्नति करने के लिए स्नातकों तथा गैर स्नातकों के बीच को भेद नहीं किया जा रहा है। इस काडर में समग्र रूप से अवरोध है।

श्री राज केशर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं—केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में स्नातक कनिष्ठ अभियन्ताओं के लिये भर्ती नियमों की धारा 3(बी) लागू क्यों नहीं की जा रही है, जब कि केन्द्रीय जल आयोग तथा केन्द्रीय विद्युत्-प्राधिकरण में स्नातकों तथा डिप्लोमा अभियन्ताओं का वेतनमान समान होने पर भी तकनीकी स्नातकों को पदोन्नति में 67 प्रतिशत कोटा दिया जा रहा है ?

श्री राम किंकर : मान्यवर, हमारे यहां की स्थिति इस से भिन्न है। हमारे यहां स्टेगनेशन बहुत बढ़ा है, जिस की वजह से यह नहीं किया जा सकता है।

श्री हुकम चन्द कछवाय : हमारे यहां का क्या मतलब है ?

श्री राम किंकर : मेरा मतलब सी० पी० डब्लू० डी० से है।

श्री राज केशर सिंह : क्या केवल डिप्लोमा अभियन्ताओं के अधिक होने के कारण ही विभाग की कार्यक्षमता एवं गुणों का बलिदान किया जा सकता है ? क्या मंत्री महोदय किसी तकनीकी विभाग का उदाहरण दे सकते हैं, जहां सहायक अभियन्ता के पद पर स्नातक अभियन्ताओं की नियुक्ति 67 प्रतिशत से कम हो ?

श्री राम किंकर : मान्यवर, इस सम्बन्ध में कोई उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। एक ही स्तर पर दोनों ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स की नियुक्ति हुई है, इसलिए हमें दोनों के लिए एक ही दृष्टिकोण को रखना पड़ेगा।

SHRI JAGANNATH RAO: According to the statement, diploma-holders while they are getting an opportunity to be promoted as Asst. Engineers, are stagnating and they have not been promoted actually as Executive Engineers. The court said, that there be no reservation for a particular class of officers. May I know as to what the policy of the government is in this regard, to promote diploma-holders from Asst. Engineers to Executive Engineers?

SHRI SIKANDAR BAKHT: The court has only said that the department concerned can choose whether they would like to promote or give any extra preference to graduates or not. They have not said that they should do it.

SHRI JAGANNATH RAO: You are picking and choosing.

श्री लालजी भाई : मैं आप के माध्यम से मंत्री महोदय को यह बताना चाहता हूं कि सन् 1972 तक सी० पी० डब्ल्यू० डी० में जूनियर इंजीनियर से एसिटेंट इंजीनियर के पद के लिए तरक्की डिग्री प्राप्त और डिप्लोमा प्राप्त लोगों के लिए 50 : 50 थी लेकिन 1972 में उस को खत्म कर दिया गया जबकि दूसरे विभागों में 67 प्रतिशत डिग्री प्राप्त जूनियर इंजीनियर्स की तरक्की का कोटा रखा गया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जबकि डिग्री प्राप्त और डिप्लोमा प्राप्त जूनियर इंजीनियर्स की कार्यक्षमता

और दक्षता में अवश्य अन्तर होता है और उनसे इसी हिसाब से काम लिया भी जाता है, इस को देखते हुए दोनों श्रेणियों के व्यक्तियों की तरक्की का अलग-अलग प्रतिशत निश्चित किया जाएगा या नहीं ? सरकार यह निर्णय ले भी सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक निर्णय में भी यह कहा गया है कि एक सी ड्यूटी अथवा कार्य होते हुए भी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तरक्की के नियम बनाए जा सकते हैं । इस बारे में आप की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्री सिकन्दर बख्त : 1972 में जो रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे, उन में यह था--

Diploma in Engineering or equivalent thereof or any other higher qualification.

इस में डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी मिलने की ओपनिंग्स बहुत कम है । अगर तरक्की देने के लिए उन की परसेन्टेज कम कर दें, तो इस में डिप्लोमा होल्डर्स के साथ नाइंसाफी होगा, जोकि मुनासिब बात नहीं होगी ।

श्री लाल जी भाई : इस में बहुत गोलमाल होगा है । सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, उस के बारे में नहीं बताया ।

MR. SPEAKER: We go to the next question—Qn. 472.

Damage caused to F.C.I. godowns in Andhra Pradesh

*472. SHRI ANANT DAVE: Will the Minister of AGRICULTURE AND IRRIGATION be pleased to state:

(a) the extent of damage caused to the godowns of the Food Corporation of India located in the areas in Andhra Pradesh hit by recent cyclone;

(b) the loss of foodgrain suffered on this account; and

(c) whether there is a proposal to construct godowns by the F.C.I. away from the cyclone prone areas and if so, the particulars thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND IRRIGATION (SHRI BHANU PRATAP SINGH): (a) FCI has reported that some roofing sheets were blown off and some light fittings damaged at some godowns situated in the areas in Andhra Pradesh hit by recent cyclone. The cost of repairs is estimated to be Rs. 40,000.

(b) A quantity of 35,000 metric tonnes of foodgrains is reported to have been affected. The salvaging of affected stocks is in progress and the actual quantity damaged will be known after the salvaging of the affected stocks is completed.

(c) No, Sir. In selecting locations for foodstorage godowns a number of considerations such as potential of procurement, needs of public distribution system, availability of land, suitability from railways point of view are taken into account.

श्री अनन्त दवे : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने ऐसा बताया है कि ?

"A quantity of 35,000 metric tonnes of foodgrains is reported to have been affected."

तो मैं यह जानना चाहता हूं कि कितनी कीमत का अनाज इफेक्टेड हुआ है ।

श्री भानु प्रताप सिंह : मैंने अपने उत्तर में बताया है कि अभी सैलवेज का काम हो रहा है और 35 हजार टन एफेक्टेड है लेकिन इसमें कितना खराब हो गया है जोकि ह्यूमन कन्जम्पशन के लिए सूटेबल नहीं रह गया है । उसका अनुमान है कि 5050 टन होगा । यह अनाज खाने के लिए नहीं दिया